विश्वविद्यालय का शिक्षा प्रशासन

विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा का सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण केन्द्र होता है। जिनमें छात्रों को शिक्षा के अहम, महत्वपूर्ण एवं उच्च उद्देश्यों एवं आदर्शों का ज्ञान कराया जाता है। विश्वविद्यालय शब्द अंग्रेजी भाषा के (Universities) शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है। "कोठारी शिक्षा आयोग - 1964-66 के अनुसार, "विश्वविद्यालय वह स्थान है, जहाँ पर सभी अपने-अपने योगदान द्वारा सत्य की खोज करते हैं। और अपनी बौद्धिक उन्नति द्वारा व्यक्तित्व का विकास करते हैं। न्यूमैन महोदय के अनुसार विश्वविद्यालय सर्वव्यापी ज्ञान के शिक्षण का स्थान है।" अतः कह सकते हैं। कि विश्वविद्यालय शिक्षा के वे सर्वोच्च स्थान होते हैं। जहाँ पर छात्रों को मूल्यों, आदर्शों, उच्च शिक्षा के उद्देश्यों का सर्वोपरि स्तर का ज्ञान कराया जाता है।

विश्वविद्यालय की प्रशासनिक संरचना

विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदन में विश्वविद्यालयों को सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। विश्वविद्यालय राष्ट्र का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ये संस्कृति व सभ्यता के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विश्वविद्यालय की संरचना प्रशासन पर निर्भर करती है। जो निम्नलिखित है।

1 कुलाधिपति (Chancellor)

2- प्रो० चान्सलर (Pro-Chancellor)

3- कुलपति (Vice-Chancellor)

4 उप कुलपति (Pro-Vice-Chancellor)

5 - कुलसचिव (Registar)

6 - वित्त अधिकारी (Finance Officer)

उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी सहयोगात्मक दृष्टि से कार्य में भूमिका निभाते है।

विश्व विद्यालय के कार्यकारिणी अधिकारी

(1) कार्यकारिणी परिषद् →

किसी भी विश्वविद्यालय में प्रशासन में कार्यकारिणी परिषद् एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में काम करती है। यह परिषद् सम्पूर्ण प्रशासन सम्बन्धी कार्यों को करती है। और यह विश्वविद्यालय के सम्पत्ति तथा कोष एवं उसके प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करती है। परिषद् एक छोटा निकाय है। जिसमे निम्न प्रतिनिधि हैं।

A - कुलपति, जो कि परिषद् का अध्यक्ष है
B - प्रो० वाइस-चान्सलर है तो सदस्य
C - संकायों के डीन में सिर्फ दो क्रम से
D - कोर्ट के प्रतिनिधि कमसे कम 4 सदस्य कार्य काल तीन वर्ष के लिए
E - कुलपति द्वारा मनोनीत
F कालेजों के परिवर्त प्राचार्य या शिक्षक

(1) सीनेट या कोर्ट

सीनेट या कोर्ट के प्रतिनिधि होते हैं। उनको सदस्यता प्राप्त होती है।

(2) आजीवन सदस्य →

इन अध्यादेश लागू होने के समय जो व्यक्ति सीनेट के आजीवन सदस्य थे वे नवगठित कोर्ट के आजीवन सदस्य बने रहेंगे।

(3) शिक्षकों के प्रतिनिधि →

इस वर्ग के निम्नलिखित को सदस्यता प्राप्त होगी।

A- विश्वविद्यालय तथा संबंधायी कालेजों के सभी विभागाध्यक्ष

B- मेडिसिन तथा इन्जीनियरिंग संकायों के डीन जो कार्यसमिति के सदस्य न हो।

C- राज्य द्वारा स्थापित सभी कालेजों के प्रचार्य

Page No.
Date : / /

D -
विश्व विद्यालयो के छात्रावासो तथा हॉलो के वार्डेन के दो प्रतिनिधि

E - सम्बन्ध प्राचार्यो के पाँच प्राचार्य तथा तीन तीन शिक्षक या एसोसिएटेड कालेज के दो प्राचार्य तथा दो शिक्षक इनका चयन बारी - बारी से होगा ।

F सम्बन्द्ध या एसोसिएटेड कालेजो की प्रबन्ध समिति के बारी - बारी